# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 37/2019

| **अपीलांट्स–** | ***बनाम*** | **रेस्पोडेंट्स–** |
|---|---|---|
| 1. उदयसिंह पुत्र धूड़सिंह<br>2. चैनसिंह पुत्र धूड़सिंह<br>जाति राजपूत निवासी नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर | | 1. राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार बाड़मेर<br>2. गजेसिंह पुत्र भीखसिंह<br>3. रतनसिंह पुत्र भीखसिंह<br>4. बाबूसिंह पुत्र गणपतसिंह<br>5. शेरसिंह पुत्र गणपतसिंह<br>जाति राजपूत निवासी नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 104 जो दिनांक 04.12.1978 जो नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2से5 के पूर्वज भीखसिंह के पक्ष में स्वीकृत किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. अवशेष रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

## निर्णय

दिनांक : 15.03.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम गिरली कितपाला के नामान्तरकरण सं. 104 पर नायब तहसीलदार बाड़मेर [illegible] दिनांक 04.12.1978 के विरुद्ध दिनांक 22.07.2019 को प्रस्तुत [illegible] गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:28:34 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के सं[illegible] मौजा गिरली कित[illegible]के खसरा नम्बर 48, 49, 28 रकबा क्रमशः 22–[illegible], 41–01, 06–09 बी[illegible]मि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

धूड़सिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपूत सा0 नोसर खातेदार के नाम से दर्ज थी। हल्का पटवारी डंडाली द्वारा दिनांक 04.12.1978 के अभियान के दौरान बयान लेने के बाद भीखसिंह पुत्र विशनसिंह 1/2 नाम दर्ज करने का आदेश दिये जाने के अनुसरण में नामान्तरकरण सं. 104 धूड़सिंह पुत्र विशनसिंह 1/2, भीखसिंह पुत्र विशनसिंह 1/2 राजपूत सा0 नोसर खातेदार के नाम दायर कर नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 04.12.1978 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स ने नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट्स ने इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं तथा यह नामान्तकरण स्वीकृति आदेश प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य हैं। रेस्पोडेंट्स के पूर्वज भीखसिंह ने अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार बाड़मेर को प्रभावित कर दिनांक 04.12.1978 को अभियान के दौरान अपीलांट्स के पिता स्व0 धूड़सिंह की खातेदारी भूमि में रेसपोडेंट के पूर्वज भीखसिंह ने 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाकर विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। ग्राम गिरली कितपाल के खसरा नम्बर 48, 49 व 28 की कुल 70–04 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त अपीलांट्स के पिता धूड़सिंह के नाम दर्ज हुई थी तथा उनके पश्चात उक्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा–काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेंट सं. 2से5 के पिता भीखसिंह को अनुचित लाभ पहुचाने के आशय से स्वीकृत किया हैं जबकि नायब तहसीलदार को किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि में से किसी को किसी भाग का खातेदारी अधिकार प्रदान

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:28:34 IST
Reason: SelfAttested

करने एवं खातेदारी अधिकार समाप्त करने का कोई अधिकार नही हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अधिकार विहिन होने से प्रारम्भ से ही शुन्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या निर्णय के अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2से5 के पिता भीखसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं वह अधिकार से रहित एवं विधि के प्रतिकूल हैं। विवादित भूमि पर कभी भी भीखसिंह एवं उनके उत्तराधिकारियों का कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। अपीलांट्स ने माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में तहसील सिणधरी जाकर अपने खेतों का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कराने हेतु जमाबन्दी की नकलें मांगी तो हल्का पटवारी डंडाली ने बताया कि विवादित खेतों में 1/2 हिस्सा भीखसिंह के वारीसान का हैं तथा अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण के बारे में जानकारी हुई। इस पर अपीलांट्स ने बाड़मेर आकर राजस्व अभिलेख एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 04.07.2019 को मांगी जो प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से शुन्य होने से इसे चुनौति देने हेतु कोई मयाद निर्धारित नहीं हैं फिर भी अपील को प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उसे पृथक से आवेदन पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 पर पारित किया गया स्वीकृति आदेश दिनांक 04.12.1978 निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब यह प्रकट किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 स्वीकृति दिनांक 04.12.1978 की जानकारी प्रारम्भ से ही थी तथा उक्त नामान्तरकरण राजस्व अभियान के दौरान अपीलांट्स के पिता की सहमति बयान से स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये गये हैं। अपीलांट्स को राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेंट्स सं. 2से5 के पिता एवं उनके बाद रेस्पोडेंट्स का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने की जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट्स ने जानबूझकर उसे चुनौति नहीं दी हैं। अ[illegible] की ओर से प्रस्तुत यह अपील असाधारण विलम्ब [illegible] विलम्ब का कोई संतुष्टिपकरण कारण प्रकट [illegible] हैं जबकि विधि की मंशा अनुसार पक्षकार को विलम्ब के एक-एक [illegible]न का कारण प्रकट करना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर
बाड़मेर
Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:28:34 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक हैं। इसके अलावा अपीलांट्स को जब अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी होने एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज होने के बावजूद इनके द्वारा जानबूझकर इतनी लम्बी समयावधि तक अपने हक–हकूकों के लिये उदासीन रहकर चाराजोही नहीं करने पर अब उन्हे असाधारण विलम्ब के पश्चात इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। अपीलांट्स द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति के करीब 42 वर्ष के असाधरण विलम्ब के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो किसी भी दशा में श्रवण योग्य नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत होने की जानकारी के जो तथ्य बताये गये हैं वह कतई विश्वास काबिल नही होकर सरासर मनगढ़त हैं। अपील की सुनवाई से पूर्व मयाद के बिन्दु पर निश्चय हेतु अपीलांट्स की ओर से एक–एक दिन के विलम्ब का ठोस एवं तथ्यपरक कारण प्रकट करना माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय में निर्धारित किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की यह अपील मयाद के बिन्दु पर ही कतई स्वीकार योग्य नहीं हैं, जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 104 दिनांक 04.12.1978 के अभियान के दौरान बयान लेने के बाद दिये गये आदेश की पालना में दायर किया गया हैं जिसका उल्लेख कॉलम सं. 14 में स्पष्ट रूप से किया गया हैं। उक्त कॉलम सं. 14 में हल्का पटवारी द्वारा अंकित किया गया हैं कि–

*''आज दिनांक 04.12.1978 के अभियान के दौरान बयान लेने के बाद भीखसिंह पुत्र विशनसिंह 1/2 नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया।''*

इस प्रकार स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि धूड़सिंह पुत्र विशनसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसके साथ हिस्सा 1/2 में भीखसिंह पुत्र विशनसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है तथा इसके लिये किसी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं था और न ही कॉलम सं. 14 में यह स्पष्ट किया गया हैं कि अभियान के दौरान किसके द्वारा बयान लिये गये एवं आदेश दिया, जिसकी पालना में यह नामान्तरकरण दायर किया गया। नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस तथ्य की जांच किये बिना इसे स्वीकार कर दिया गया। अब जहां तक इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:28:34 IST
Reason: SelfAttested

मयाद का प्रश्न हैं तो अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार को अनदेखा करते हुए अवैध रूप से पारित आदेश प्रारम्भ से शुन्य की परिभाषा मे आता हैं जिसके लिये मयाद बाधित नहीं हैं। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर आरबीजे (22) 2015 पेज 482 प्रस्तुत किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया हैं कि विलम्ब के समुचित कारण को सारभूत न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से उदारतापूर्ण रूप में लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार एआईआर 2013 पेज 3060 के उद्धरण प्रस्तुत किये गये, जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि जहां क्षेत्राधिकार के संबंध में जहां मामला आरम्भ का बिन्दु हैं तो उसे किसी भी समय उठाया जा सकता है तथा डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर लागू नहीं होगी। इसी प्रकार आरआरडी 1992 पेज 173 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया हैं कि क्षेत्राधिकार विहिन आदेश के विरूद्ध अपील के लिये मयाद लागू नहीं होगी। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा आरएलडब्ल्यु 1997 (2) राज. पेज 968 की निर्णय नजीर प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया हैं कि किसी न्यायालय द्वारा विवाद के निराकरण हेतु मामला ले लिया जाता हैं जिसके लिये उसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं, तो उस मामलें में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री शुन्य है तथा ऐसी डिक्री की वैधता को किसी भी समय, अपील में अथवा किसी निष्पादन की कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है। इसके विरूद्ध अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2007(2) पेज 788, आरआरटी 2009(1) पेज 488, आरआरटी 2007(2) पेज 939 व आरआरटी 2009(1) पेज 432 के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए विलम्ब के उपशमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित मत पर बल देते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण को समुचित नहीं होना मानते हुए मयाद के बिन्दु पर खारिज करने का अभिकथन किया हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त निर्णय नजीरों में हस्तगत प्रकरण के समान क्षेत्राधिकार का बिन्दु विवेचित एवं निष्कर्षित नहीं किया गया। हस्तगत अपील में अभिलेखीय तौर पर साबित हैं कि अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर खातेदारी दिये जाने का पारित किया है जो अवैध आदेश हैं तथा नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व पक्षकारान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishu Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:28:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का भी कोई साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स का यह कथन कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, मानने योग्य नहीं हैं एवं अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर अनुसार डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर क्षेत्राधिकार विहिन आदेश के विरूद्ध लागू नहीं होगी। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध एवं प्रारम्भ से शुन्य आदेश की परिधी में आने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा गिरली कितपाला के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 104 को अपास्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता हैं उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अद्यतन किये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( विश्राम मीणा )
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:28:34 IST
Reason: SelfAttested